गोपनीय

पत्रांक–पुरा/वि.1–23/05
बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख

विषय : वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर–योजनान्तर्गत बिहार पुराविद् परिषद् पटना को ₹ 1,50,000/–रू0 (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

बिहार में पुरातात्विक स्थल तथा पुरातात्विक स्मारकों के सम्बन्ध में अध्ययन तथा इससे सम्बन्धित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए बिहार पुराविद् परिषद् का गठन किया गया है। बिहार पुराविद् परिषद् पटना को राज्य सरकार द्वारा गैर–योजनान्तर्गत पुरातत्व निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा स्थापना एवं प्रकाशन व्यय के लिए प्रति वर्ष सहायक अनुदान दिया जाता है।

2. वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार पुराविद् परिषद् को ₹ 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 15.1.2012 को दी गयी थी, जिसे राज्यादेश संख्या–498 दिनांक 22.1.13 द्वारा संसूचित किया गया था।

3. वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार पुराविद् परिषद् को स्वीकृत सहायक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रतिवेदन महालेखाकार, बिहार, पटना को पत्रांक–538 दिनांक 5.12.2013 के द्वारा भेजा जा चुका है।

4. उल्लिखित तथ्यों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार पुराविद् परिषद् पटना को र 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

5. इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर–योजना आय–व्ययक शीर्ष "2205–कला एवं संस्कृति–103–पुरातत्व विज्ञान–0001–पुरातत्व निदेशालय–31 04 सहायक अनुदान वेतन" विपत्र कोड–एन0 2205001030001 मांग संख्या–8 के अन्तर्गत ₹ 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र का प्रावधान है।

6. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है

7. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

8. उपर्युक्त कंडिका–4 के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

11/2

(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पुरा/वि.1–23/2005 — 38 पटना, दिनांक– 11/02/14

प्रतिलिपि, 45 (पैंतालीस) प्रतियों के साथ, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ सम्मिलित करने हेतु प्रेषित।

11/2

(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।